डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
उत्तर प्रदेश सरकार

प्रेषक

कुलसचिव,
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

सेवा में,

(1). **निदेशक,**
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(2). **समस्त विभागाध्यक्षगण,**
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

(3). **विभागाध्यक्षों से भिन्न समस्त आचार्य,**
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

(4). **डॉ0 संजीव गुप्ता,**
एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग,
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

(5). **श्री आशीष कुमार गुप्ता,**
असिस्टेण्ट प्रोफेसर, दृष्टिबाधितार्थ विभाग,
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

पत्रांक :1062/पत्रा.सं0–568(द्वितीय)/डा.श.मि.रा.पु.वि./वि0परि0/2024–25 दिनांकः 03.09.2024

विषयः– डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की मा0 विद्या परिषद की 32वीं बैठक दिनांकः 30 जुलाई, 2024 की कार्यवृत्त प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की मा0 विद्या परिषद की 32वीं बैठक दिनाँकः 30 जुलाई, 2024 को लिए गये निर्णयों का कार्यवृत्त की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किये जाने का निदेश हुआ है।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय,

(रोहित सिंह)
कुलसचिव

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

की मा0 विद्या परिषद् की
32वीं बैठक दिनाँकः 30 जुलाई, 2024 को आहूत बैठक
का कार्यवृत्त

समय–	**अपराह्न : 4:00 बजे**
स्थान–	**प्रशासनिक भवन, पंचम तल स्थित सभागार, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।**

उपरोक्त कार्यक्रमानुसार विश्वविद्यालय की मा0 विद्या परिषद् की 32वीं बैठक विश्वविद्यालय के पंचम तल पर स्थित सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में सदस्यों की उपस्थिति संलग्नक के अनुसार रही। बैठक में विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

क्र0 सं0	विषय
1/32	**मा0 विद्या परिषद की 31वीं बैठक हेतु निर्गत कार्यवृत्त की पुष्टि के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः– मा0 विद्या परिषद् की 31वीं बैठक दिनाँक 11 जून, 2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
2/32	**मा0 विद्या परिषद की 31वीं बैठक दिनांक 11 जून, 2024 में लिये गये निर्णयों के अनुपालन के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः– मा0 विद्या परिषद 31वीं बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन आख्या को अगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।
3/32	**योग एवं कल्याण विभाग की स्थापना के सम्बन्ध में विचार।**
	विश्वविद्यालय में विगत् कई वर्षों से विद्यार्थियों द्वारा उनके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य लाभ हेतु नियमित योग कक्षाएं चलाये जाने का अनुरोध किया जाता रहा है। इस दृष्टि से विश्वविद्यालय में एक पृथक **"योग एवं कल्याण विभाग"** की स्थापना अत्यंत आवश्यक है। इस विभाग के अन्तर्गत सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एवं यथा आवश्यक पाठ्यक्रम भी प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित हैं। उपरोक्त के सम्बन्ध में दिनांक 24.07.2024 को प्रातः 10:00 बजे निदेशक, क्रीड़ा एवं योग प्रकोष्ठ की अध्यक्षता में एक बैठक (ऑनलाइन/ऑफलाइन) आहूत की गयी जिसका कार्यवृत्त निम्नवत् है :– "विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से लम्बे समय से योग कक्षाएं प्रारम्भ करने का अनुरोध किया जाता रहा है। यद्यपि योग दिवस के अवसर पर गत वर्षों से योग शिविर चलाये जाते रहे हैं। इसी क्रम में मा0 कुलपति महोदय की सद्प्रेरणा से दिनांक 21.06.2024 को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य एवं सफल आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी एवं उनके परिजनों ने भी बड़ी संख्या (लगभग 1500) में सामूहिक योगाभ्यास भी किया। योग दिवस आयोजन समिति द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के योग महोत्सव की एक रिपोर्ट भी तैयार की गई है जिसे इस बैठक के सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रेषित किया गया। वर्तमान समय में योग की उपादेयता को देखते हुए सभी आमंत्रित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से यह विचार व्यक्त किया गया कि विश्वविद्यालय में योग के माध्यम से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के दृष्टिगत क्रीड़ा एवं योग प्रकोष्ठ से योग को पृथक करते हुए **"योग एवं कल्याण विभाग"** की स्थापना की जाये, जिससे खेल एवं योग का स्वतंत्र अस्तित्व रहते हुए इनको पृथक एवं स्वतंत्र इकाई के रूप में विकसित किया जा सके तथा सुचारू संचालन भी हो सके। सदस्यों द्वारा यह भी विचार व्यक्त किया गया कि विश्वविद्यालय में सत्र 2024–25 से ही **"योग एवं कल्याण विभाग"** के अन्तर्गत योग के पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाना उचित होगा। इस दृष्टिगत वर्तमान सत्र से योग के सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम से आरम्भ किये जाने की अनुशंसा की गयी एवं यह भी विचार व्यक्त किया गया कि आगामी वर्षों में पाठ्यक्रमों को उच्चीकृत करते हुए डिप्लोमा एवं यथा आवश्यक पाठ्यक्रम भी प्रारम्भ किये जा सके।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय
पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

C-102

सदस्यों द्वारा योग के सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम की रूपरेखा पर पृथक रूप से चर्चा हुई एवं यह संस्तुत किया गया कि विश्वविद्यालय में **"योग एवं कल्याण विभाग"** की स्थापना के उपरान्त पाठ्यक्रम पर विभागीय अध्ययन मण्डल द्वारा विस्तृत चर्चा कर अंतिम रूप प्रदान किया जायेगा।

<u>Decision-</u> After due consideration, the approval for the establishment of "Department of Yoga" was granted by the Academic Council and it was recommended that after the establishment of the Department of Yoga in the University, the course structure and syllabus shall be finalized by the concerned Board of Studies.
Academic Council also recommended to send a proposal to the competent authority for sanctioning the teaching and non-teaching posts as proposed by the Department of Yoga.

<u>निर्णयः–</u> मा0 विद्या परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त "योग विभाग (Department of Yoga)**" की स्थापना हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया तथा यह संस्तुत किया गया कि विश्वविद्यालय में "योग विभाग" की स्थापना के उपरान्त पाठ्यक्रम पर विभागीय अध्ययन मण्डल द्वारा विस्तृत चर्चा कर अंतिम रूप प्रदान किया जायेगा।**
विभाग के गठन एवं पाठ्यक्रम के निर्धारण के साथ ही अध्ययन–अध्यापन की आवश्यकताओं को देखते हुए शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों के सृजन हेतु पृथक प्रस्ताव सक्षम स्तर को भेजने की संस्तुति प्रदान की गई।

4/32 **संगीत विभाग में सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम के संचालन के सम्बन्ध में विचार।**

विश्वविद्यालय के ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय के अन्तर्गत संगीत विभाग में Certificate Course in Indian Classical Vocal Music का पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने हेतु आहूत विभागीय अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 08.06.2024 की संस्तुति को मा0 विद्या परिषद की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। बैठक में उपस्थित मा0 सदस्यों को विभागीय अध्ययन मण्डल की संस्तुति से अवगत कराया गया जो निम्नवत् हैः–

1. सर्वसम्मति से सत्र 2024–25 से शास्त्रीय गायन विषय में 01 वर्षीय प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु संस्तुति की गयी।
2. उक्त पाठ्यक्रम के प्रवेश, प्रशिक्षण एवं वार्षिक परीक्षा सम्बन्धी प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार कर अनुमोदन हेतु निम्नवत् प्रस्तावित की गयी।

AIMS AND OBJECTIVES:

This course provides the basic ideas and concept of Vocal Music, through this programme student will get knowledge about Indian classical music. The students will get to know the different Ragas, Taals, Basic Science of Indian Music, Notation system of Indian classical music.

OUTCOMES:

At the end of programme the learners will be able to get-

- Knowledge of the fundamental of Indian classical music.
- Historical development of the Indian music and cultural development of India.
- Student will be able to get acquainted with basic ragas, basic taals and notations etc.
- May have capabilities to start earning by enhancing their skill in the field of vocal music.

ELIGIBILITY FOR ADMISSION TO THE COURSE:

Candidate for admission to the Certificate Course in Vocal Music (Part time) shall be required to have completed the 10+2 standard [Intermediate] examinations.

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय
पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

C-101

There is no age limit to get admission.

SEATS: 30

ADMISSION PROCESS: Aptitude Test: 100 Marks (Singing Test: 80 Marks and Viva: 20 Marks)

Reservation- As per University Rules

<u>Indian classical Vocal Music Practical Paper</u>

1. संगीत के पारिभाषिक शब्द–संगीत, श्रुति, स्वर, नाद, सप्तक, आरोह, अवरोह, अचल, शुद्ध एवं विकृत स्वर
2. दस थाटों के नाम एवं स्वर
3. कल्याण एवं बिलावल थाट की प्रारम्भिक जानकारी
4. यमन एवं बिलावल में पांच अलंकार
5. पाठ्यक्रमों के रागों में आरोह, अवरोह, पकड़ एवं द्रुत ख्याल
6. पाठ्यक्रम के राग में एक सरगम
7. त्रिताल एवं कहरवा ताल का विवरण
8. किसी एक संगीत के वाद्य की जानकारी तानपुरा और हारमोनियम

उक्त पाठ्यक्रम में 01 वर्ष पश्चात् परीक्षा सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न किया जाना प्रस्तावित है। प्रायोगिक परीक्षा 100 अंकों के होंगे, जिसमें मौखिकी भी सम्मिलित किया जायेगा, जो निम्नवत् है–

1. प्रायोगिक परीक्षा (मंच)–70 अंक (वाह्य परीक्षक द्वारा–50 अंक एवं आंतरिक परीक्षक द्वारा–20 अंक)
2. मौखिकी परीक्षा–30 अंक (वाह्य परीक्षक द्वारा) परीक्षा हेतु वाह्य विशेषज्ञ को आमंत्रित किया जायेगा।

<u>Decision-</u> Considering the recommendations of the Board of Studies, the proposal for starting one year certificate Course in Indian Classical Vocal Music in Department of Music under Faculty of Fine Arts and Performing Arts was approved and it was decided to empanel 02 Guest Faculty for conducting the said course till the appointment of regular faculty member/teacher.

<u>निर्णयः–</u> मा0 विद्या परिषद की बैठक में विभागीय अध्ययन मण्डल द्वारा की गई संस्तुतियों पर विचार–विमर्श करते हुए ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय के अन्तर्गत संगीत विभाग में Certificate Course in Indian Classical Vocal Music का एक वर्षीय पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने हेतु यथावांछित अनुमोदन प्रदान करते हुए निर्णय लिया गया कि नियमित शिक्षक की नियुक्ति होने तक 02 अतिथि व्याख्याता को सूचीबद्ध करते हुए पाठ्यक्रम को संचालित किया जाये।

5/32 **<u>ललित कला विभाग की विभागीय मण्डल की बैठक दिनांक 24.07.2024 द्वारा पारित परास्नातक एम0वी0ए0 पाठ्यक्रम के सीटों की वृद्धि के प्रस्ताव पर विचार।</u>**

मा0 विद्या परिषद की आहूत बैठक में विश्वविद्यालय में परास्नातक एम0वी0ए0 पाठ्यक्रम के सीटों की वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में मा0 विद्या परिषद की बैठक में उपस्थित मा0 सदस्यों द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। तत्क्रम में मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय के अन्तर्गत ललित कला विभाग में संचालित परास्नातक एम0वी0ए0 पाठ्यक्रम में पूर्व निर्धारित कुल 32 सीटों जिसमें क्रमशः चित्रकला–12 व्यावहारिक कला–12 एवं मूर्तिकला में –08 में वृद्धि किये जाने हेतु विभागीय अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 24.07.2024 में आवेदक अभ्यर्थियों एवं इन्डस्ट्री में विषय की बढ़ती मांग के दृष्टिगत सत्र 2024--25 से चित्रकला–20, व्यावहारिक कला–16 एवं मूर्तिकला–08 अर्थात सीटों की संख्या कुल 44 किये जाने की संस्तुति की गयी है जो मा0 विद्या परिषद में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

<u>Decision-</u> After detail discussions, the recommendation of the Board of Studies for proposed increment in the seats of different specializations, to be implemented from session 2024-25, are approved as mentioned below:

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय
पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

C-100

S.No.	Name of Specialization	No. of seats alloted previously	Increment in the seats	Total seats
1	Painting	12	08	20
2	Applied Arts	12	04	16
3	Sculpture	08	00	08
Grand Total		32	12	44

निर्णयः— मा0 विद्या परिषद की आहूत बैठक में विभागीय अध्ययन मण्डल द्वारा की गई संस्तुतियों पर विस्तृत विचार विमर्श करते हुए परास्नातक एम0वी0ए0 पाठ्यक्रम के विभिन्न विशेषज्ञताओं में सत्र 2024—25 से प्रस्तावित वृद्धि पर अनुमोदन निम्नवत् प्रदान किया गया—

क्र0 सं0	विशेषज्ञताओं का नाम	पूर्व में आवंटित सीटों की संख्या	सीटों में वृद्धि	कुल सीट
1	पेंन्टिग	12	08	20
2	एप्लाइड आर्टस्	12	04	16
3	मूर्ति (स्कल्पचर)	08	00	08
कुल योग		32	12	44

6/32 **कार्यालय ज्ञाप सं0—402/पत्रा0 सं0—1689/डॉ0श0मि0रा0पु0वि0/2024—25 दिनांक 01 जून, 2024 के माध्यम से गठित समिति द्वारा प्रस्तुत क्रीड़ा नीति (Sports Policy) के अनुमोदन पर विचार।**

मा0 विद्या परिषद की आहूत बैठक में विश्वविद्यालय की क्रीड़ा नीति (Sports Policy) बनाये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत विचार—विमर्श करते हुए मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय अपने सभी छात्रों के समावेशी और समग्र विकास को पूरा करते हुए अकादमिक उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करता है तथा यह उनके शारीरिक स्वास्थ्य और कल्याण के महत्व को भी समझता है।

विश्वविद्यालय द्वारा क्रीड़ा एवं योग प्रकोष्ठ की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य छात्रों को भरपूर खेल, गतिविधियों के लिए पर्याप्त विकल्प प्रदान करना है, जिसमें विशेष रूप से दिव्यांगजनों के खेलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विश्वविद्यालय के छात्र स्पोर्ट्स में भी उत्कृष्टता स्थापित करते हुए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में सहभागिता सुनिश्चित कर विजेता के रूप में पदक हासिल कर सकें। इसके लिए एक सुव्यवस्थित नीति क्रीड़ा एवं योग प्रकोष्ठ द्वारा तैयार की गई है, जिस पर मा0 विद्या परिषद का अनुमोदन निवेदित है।

Decision- After detail discussion, Academic Council suggested to modify/amend certain provisions of the Sports Policy and submit it to the Honorable Vice Chancellor for approval.

निर्णयः— मा0 विद्या परिषद की आहूत बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा क्रीड़ा नीति (Sports Policy) के सम्बन्ध में विस्तृत विचार विमर्श करते हुए क्रीड़ा नीति (Sports Policy) के कुछ प्रावधानों को संशोधित करते हुए संशोधित नीति को मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

7/32 **स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत विश्वविद्यालय में संचालित अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान** (Institute of Engineering and Technology) **में** empanelled **दो अतिथि व्याख्याता** (Guest-Lecture) **के** Empanelment **के विस्तार के सम्बन्ध में निर्णय।**

उक्त संस्थान में Empanelled दो अतिथि व्याख्याताओं का विवरण निम्नवत है:

क्रम सं0	अतिथि व्याख्याता का नाम	विभाग का नाम	Empanelment समाप्त होने की तिथि
1.	डॉ0 शरद प्रताप सिंह	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग	28.02.2024
2.	श्री विकास चौबे	मैकेनिकल इंजीनियरिंग	02.03.2024

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय
पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

c-99

	उक्त संस्थान के निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त वर्णित अतिथि व्याख्याताओं द्वारा शैक्षिक सत्र 2024–25 मे अपने सम्बन्धित विभाग मे अध्यापन का कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है एवं उनका इम्पैनलमेन्ट उपरोक्तानुसार समाप्त हो गया है। अतः मा0 विद्या परिषद उपरोक्त वर्णित अतिथि व्याख्याताओं के Empanelment के विस्तार के सम्बन्ध मे निर्णय लेना चाहे। **<u>Decision-</u> The Director of the concerned Institute explained the reasons for delay in the extension of empanelment of the aforesaid Guest-Lecturers and the members of the Academic Council were satisfied with the explanation. Hence, it is recommended that the extension of the empanelment of the aforesaid Guest-Lecturers may be given till further orders.** **<u>निर्णयः</u>– उक्त अतिथि व्याख्याताओं का Empanelment विस्तार में विलम्ब के कारणों की सम्बन्धित संस्थान के निदेशक द्वारा व्याख्या की गई जिससे मा0 विद्या परिषद के सदस्य संतुष्ट हुए। अतः संस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त अतिथि व्याख्याताओं के इम्पैनलमेन्ट का अग्रिम आदेशों तक विस्तार किया जा सकता है।**
8 / 32	**11वें दीक्षान्त समारोह हेतु परिधान अलंकरण पर विचार।**
	डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ में 11वें दीक्षान्त समारोह का आयोजन 14 सितम्बर, 2024 को प्रस्तावित है। ज्ञातव्य है कि विगत कई वर्षों से विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षान्त समारोह में माननीय कुलाध्यक्ष महोदया एवं विश्वविद्यालय की विभिन्न परिषदों यथा सामान्य परिषद, कार्य परिषद एवं विद्या परिषद के माननीय सदस्यगण हेतु विशिष्ट परिधान अलंकरण करते हुए दीक्षान्त समारोह में शैक्षणिक यात्रा में प्रतिभाग किया जाता रहा है। परिधान अलंकरण के सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जिस पर मा0 विद्या परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है। **<u>निर्णयः</u>– सम्यक विचारोपरान्त दीक्षान्त समारोह में माननीय कुलाध्यक्ष महोदया, मुख्य अतिथि, विश्वविद्यालय की सामान्य परिषद्, कार्य परिषद एवं विद्या परिषद के माननीय सदस्यगण के "दीक्षान्त समारोह शैक्षणिक शोभा यात्रा" में प्रतिभाग हेतु भारतीय परम्परागत परिधान को शोभा यात्रा में अंगीकृत किए जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है जोकि इस प्रकार हैः–** **क) दीक्षान्त समारोह में माननीय कुलाध्यक्ष महोदया, मुख्य अतिथि, विश्वविद्यालय की सामान्य परिषद्, कार्य परिषद एवं विद्या परिषद के माननीय सदस्यगण हेतु परिधान –** **a) विभिन्न परिषदों की माननीय महिला सदस्यगण के परिधान अलंकरण हेतु गोल्डेन बॉर्डर की क्रीम कलर की साड़ी के साथ ही अंगवस्त्र हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।** **b) विभिन्न परिषदों के माननीय पुरूष सदस्यगण के परिधान अलंकरण हेतु क्रीम कलर का कुर्ता, सफेद पायजामा एवं सदरी के साथ ही अंगवस्त्र हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।** **ख) मा0 विद्या परिषद् द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित 11वें दीक्षान्त समारोह में माननीय सदस्यगण हेतु सदरी का रंग एवं अंगवस्त्र (उत्तरीय) चयन इस हेतु गठित समिति द्वारा पृथक से किया जाएगा।** **ग) मा0 विद्या परिषद् की बैठक में इस बात पर भी सहमति व्यक्त की गयी है कि विद्या परिषद के सदस्यगण द्वारा कुर्ता पायजामा/साड़ी स्वयं के स्तर से क्रय किया जाए एवं उस पर व्यय हुई धनराशि का वहन भी विद्या परिषद् के सदस्यगण द्वारा स्वयं ही किया जायेगा एवं सदरी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी जिसे सम्मानित सदस्यगण द्वारा आगामी पांच वर्षों तक स्वयं के पास संरक्षित रखने की अपेक्षा की गयी है जिससे कि इसका उपयोग पाँच वर्षों के दौरान होने वाले दीक्षान्त समारोह में किया जा सके।** **घ) मा0 सामान्य परिषद् एवं कार्य परिषद् के सदस्यगण के दीक्षान्त समारोह शैक्षणिक शोभा यात्रा में प्रतिभाग हेतु परिधान विश्वविद्यालय स्तर से उपलब्ध कराये जाएंगे एवं परिधान समिति यह सुनिश्चित करेगी कि शैक्षणिक शोभा यात्रा प्रारम्भ होने के पूर्व ही परिधान माननीय सदस्यगणों को उपलब्ध हो जाए जिसे माननीय सदस्यगण उसे अपने पास रख सकते हैं।**

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय
पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

C-96

	ड़) माननीय विद्या परिषद् की बैठक में इस बात पर सहमति व्यक्त की गयी कि पदक प्राप्तकर्ता एवं उपाधि प्राप्तकर्ता विद्यार्थियों हेतु निम्नवत् वस्त्र निर्धारित किये जायें।

क्र0सं0	परिषद् का नाम	वस्त्र का प्रकार
1	पदक प्राप्तकर्ता/उपाधि प्राप्तकर्ता पुरूष विद्यार्थियों हेतु	कुर्ता–पायजामा (रंग–सफेद) एवं उत्तरीय
2	पदक प्राप्तकर्ता/उपाधि प्राप्तकर्ता महिला विद्यार्थियों हेतु	कुर्ता–शलवार/चूड़ीदार एवं दुपट्टा अथवा साड़ी (रंग–सफेद) एवं उत्तरीय

दीक्षांत समारोह में उपस्थित होने वाले समस्त पदक प्राप्तकर्ता एवं उपाधि प्राप्तकर्ता उपरोक्त निर्धारित वस्त्र की व्यवस्था अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे।

9/32	**कार्यालय ज्ञाप सं0–499/पत्रा0 सं0–240(चतुर्थ)/डॉ0श0मि0रा0पु0वि0/कार्या0ज्ञाप/2024–25 दिनांक 20 जून, 2024 के माध्यम से गठित समिति द्वारा प्रस्तुत छात्रावास नीति (Hostel-Policy) के अनुमोदन पर विचार।**
	मा0 विद्या परिषद की आहूत बैठक में विश्वविद्यालय में छात्रावास नीति (Hostel Policy) को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में विस्तृत विचार विमर्श करते हुए बैठक में उपस्थित मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में स्थापित महिला छात्रावास एवं पुरूष छात्रावास में आवासित विद्यार्थियों की सुविधाओं, अनुशासन एवं सुगम संचालन के लिए विश्वविद्यालय में गठित समिति द्वारा तैयार की गयी छात्रावास नीति (Hostel Policy) को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में विस्तृत विचार–विमर्श करते हुए मा0 विद्या परिषद का अनुमोदन निवेदित है। **Decision-** **After due consideration, the Hostel-Policy was adopted with instruction to incorporate the modifications and Vice Chancellor was authorized to finally approve the modified Hostel-Policy .** **निर्णयः– सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा प्रस्तुत Hostel-Policy में संशोधन (Modification) करने हेतु निर्देशित किया गया एवं संशोधित Hostel-Policy को अनुमोदित करने हेतु मा0 कुलपति महोदय को अधीकृत किया गया।**
10/32	**मा0 सामान्य परिषद की षष्ठम बैठक दिनांक–20 अगस्त, 2019 के निर्गत कार्यवृत्त पत्रांक–1084/ फ0सं0–432/सा0परि0/2019–20 दिनांक–28 अगस्त, 2019 के बिन्दु संख्या–5/6 पर लिये गये निर्णय के आलोक में भारतीय पुनर्वास केन्द्र, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों के साथ ही साथ अन्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान किये जाने पर निर्णय हेतु विचार।**
	मा0 विद्या परिषद की आहूत बैठक में विश्वविद्यालय में भारतीय पुनर्वास केन्द्र, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों के साथ ही साथ अन्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत विचार विमर्श करते हुए बैठक में उपस्थित मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–05 (दो) में वर्णित व्यवस्थान्तर्गत पूर्व में प्रचलित सम्बद्धता गाइड लाइन के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2015–16 से उ0प्र0 राज्य के इच्छुक संस्थाओं/महाविद्यालयों को भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्रदत्त विशेष शिक्षा के न्यूनतम् एक पाठ्यक्रम के अनिवार्य रूप से संचालन के प्रतिबन्ध के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा सृजित/संचालित विभागो एवं पाठ्यक्रमों से इतर अन्य विधाओं/पाठ्यक्रमों यथा– मेडिकल/होम्योपैथी/आयुर्वैदिक/कृषि आदि की भी विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्रदान की जा रही थी अथवा सम्बद्धता की प्रकिया सम्पादित की जा रही थी, जिससे सम्बद्धता प्राप्त संस्थानों/महाविद्यालयों में पाठ्यकमों के पारदर्शी एवं सफलतापूर्वक कार्यान्वयन में व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न होती थी। तत्समय विश्वविद्यालय के मा0 सामान्य परिषद की 6वीं बैठक दिनांक 20.08.2019 के निर्गत कार्यवृत्त पत्रांक सं0–1084 दिनांक 28.08.2019 के बिन्दु संख्या–5/6 पर सम्बन्धता से सम्बन्धित एक निर्णय प्रकाश मे आया है जो कि निम्नवत् है–

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय
पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

	5/6 — विश्वविद्यालय की सम्बद्धता अध्यादेश के आलेख पर अनुमोदन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में। निर्णयः—मा0 सामान्य परिषद द्वारा सम्बद्धता के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्णय प्रदान किया गया कि "विश्वविद्यालय द्वारा संस्थाओं/महाविद्यालयों को केवल ऐसे ही पाठ्यक्रमों में सम्बद्धता प्रदान की जायेगी, जो दिव्यांगता से सम्बन्धित हो तथा दिव्यांग विद्यार्थियों के पुनर्वासन हेतु कार्यरत हो।" उक्त संशोधनों के साथ मा0 विद्या परिषद एवं मा0 कार्य परिषद से संस्तुत/अनुमोदित सम्बद्धता अध्यादेश/परिनियमावली पर मा0 सामान्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया तथा मा0 सामान्य परिषद द्वारा डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, अधिनियम 2009 की धारा—5(दो) में उक्तानुसार संशोधन कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। 2 (प्रो0 आर.के.पी. सिंह) कुलपति डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ It is obvious that the aforesaid decision of the General Council excludes the other branches of knowledge, but it is reflected from the objectives of the University detailed under Section-4 of the University Act 2009 that the University should develop an Inclusive Education System (समेकित/समावेशी शिक्षा प्रणाली) catering the needs of abled and differently – abled persons of the society and it should not be oriented towards Exclusion. Sub-section 5 (ii): powers and function of the University is, "*to affiliated such colleges and other institutes of the state who in addition to routine branches of knowledge provide special education as per norms of the Rehabilitation Council of India, as the University may deem fit, hold examinations and to confer degrees and grant diplomas or certificates and other academic destinations to such conditions as the University may determine. The affiliation can be withdrawn subject to violation of the above conditions*." Hence it is evident that the University may affiliate the Colleges/Institutions of the State who can provide Inclusive Education and the powers to grant the "Affiliation" are vested in the University. Therefore, in view of developing the University as an Inclusive Higher Educational Institution as reflected from its objectives detailed under section-4 and in view of the powers and function of the University detailed in subsection 5(ii) of the University Act - 2009 as mentioned above, the matter is placed before the Academic Council for passing the appropriate resolution. **<u>Decision-</u> It was resolved that in view of developing the University as multi-dimensional Inclusive Higher Educational Institute in accordance with objective of the University mentioned in section-4 and powers and function of the University mentioned in subsection 5(ii) of the University Act-2009 and in view of generating financial resource; Institutions/Colleges of the State who in addition to routine branches of knowledge provide special education as per norms of the Rehabilitation Council of India, as the University may deem fit shall be affiliated as per the University Act-2009 and the proposal/request shall be sent to the competent authority to amend/revisit the aforementioned decision noted at point no-5/6 of the minutes of the 6th meeting of General Council dated 20.08.2019.**
11/32 (क)	**कार्यालय—ज्ञाप सं0—No.-243/फा0सं0—02/वि0शि0संकाय/डॉ.श.मि.रा.पु.वि.वि./2024 —25 दिनांक— 08 मई, 2024 के माध्यम से गठित समिति द्वारा प्रस्तुत डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ के डॉ0 ऑफ फिलासफी (पीएच0डी0) रेगुलेशन—2024 [Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow : Doctor of Philosophy (Ph.D.) Regulation-2024] के अनुमोदन पर विचार।**
	विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्त वर्णित कार्यालय—ज्ञाप के माध्यम से निम्नवत् समिति का गठन किया गया था।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय
पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

C-96

डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow.

पत्रांक-243 /फा.स.-02/वि0शि0संकाय/डॉ.श.मि.रा.पु.वि./2024-25 दिनांक-03 मई, 2024

//कार्यालय-ज्ञाप//

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम, 2022, दिनांक-07 नवम्बर, 2022 के क्रम में विश्वविद्यालय में अंशकालिक (पार्ट टाइम) माध्यम से शोध कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में नियम एवं दिशा-निर्देश के निर्धारण हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है-

1.	(प्रो० बी० के० सिंह) अधिष्ठाता, भाषा संकाय।	अध्यक्ष
2.	प्रो० सी0 के० दीक्षित, अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय।	वरिष्ठ सदस्य
3.	डॉ० अशोक कुमार मिश्रा, विशेष कार्याधिकारी, शोध प्रकोष्ठ।	सदस्य

उपरोक्त के क्रम में समिति से अपेक्षा है कि विश्वविद्यालय में अंशकालिक (पार्ट टाइम) माध्यम से शोध कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निर्गत विनियमों, नियमों एवं विश्वविद्यालय के अधिनियम में विहित व्यवस्था के आलोक मे अपनी संस्तुति सहित आख्या यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. वैयक्तिक सहायक कुलपति, माननीय कुलपति महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
2. समिति के सम्मानित सदस्यगण, विश्वविद्यालय।
3. गार्ड फाईल।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव

उक्त समिति को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच0डी0उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम, 2022, दिनांक-07 नवम्बर, 2022 के क्रम में विश्वविद्यालय के डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ के डॉ0 ऑफ फिलासफी (पीएच0डी0) रेगुलेशन-2024 [Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow : Doctor of Philosophy (Ph.D.) Regulation-2024] को भी निर्मित करने के निर्देश प्रदान किये गये थे जिसके क्रम मे उक्त समिति द्वारा **डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ के डॉ0 ऑफ फिलासफी (पीएच0डी0) रेगुलेशन-2024** प्रस्तुत किया गया था। विमर्श के दौरान मा0 विद्या-परिषद द्वारा निम्नलिखित सुझाव (Suggestions) प्रदान किये गए।

1. Clause No-1.1, 1.2, 1.3 and 1.4 under the heading "Short Title, Application and Commencement" of the submitted Ph.D. regulation shall be written as follows:

1.1 - This Regulation shall be known as "Doctor of Philosophy (Ph.D.) Degree Regulation–2024" of Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow.

1.2 - This Regulation shall govern the minimum standards and procedure for the award of Ph.D. degree "Doctor of Philosophy" of Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow complying University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for the Award of Ph.D. Degrees) Regulations,

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

C-95

	2022 and subsequent guide-lines of UGC and shall come into effect from the date it is duly notified by the University. **1.3** - Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow (herein after referred to as University) would conduct the Ph.D. programme complying the provisions laid down in this Regulation. **1.4** -Those candidates who have been registered for Ph.D. before the promulgation of this Regulation would be governed by the earlier Regulations/Ordinance for the award of Ph.D. degree **2.** Minor modification be incorporated in clause 4.5 as per followings: The sentence-part "retention fee that should be 1.5 (one and half) times the fee prescribed for Ph.D. programme" shall be replaced by the sentence-part "retention fee that should be the same fee prescribed for Ph.D. programme." Fee structure for full-time Ph.D. programme shall be modified accordingly. **3.** Clause no-7.11 of the submitted regulation shall be written as follows: 7.11 Change of Supervisor shall normally be not allowed. If special circumstances arise due to inevitable reasons, then DRC may consider the case and recommend the change of Supervisor which shall be sent to the Academic Council for approval. **4.** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच0डी0 उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम, 2022, दिनांक–07 नवम्बर, 2022 के आलोक में प्रदेश के अन्य राज्य विश्वविद्यालयों यथा लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ; दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर द्वारा निर्मित क्रमशः पीएच0डी0 अध्यादेश–2023 एवं पीएच0डी0 अध्यादेश–2024 मे विहित सुसंगत प्रावधानों (Full-Time Research Scholar को Part-Time Research Scholar के रूप मे अनुमति देनें के सम्बन्ध मे) के आलोक मे डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के पी0एचडी0 रेग्युलेशन–2024 में भी फुल टाइम रिसर्च स्कालर को पार्ट टाइम रिसर्च स्कालर के रूप में अनुमति दिये जाने/स्वीच ओवर करने हेतु सुसंगत उपबन्ध Clause 13.8 के रूप मे निम्नवत जोड़ा जाएगा : **13.8** The full time research scholars who have completed at least 02 (two) years in the University; then in special cases like his/her selection on a permanent post etc., may be permitted to continue as Part-Time research scholar through the process of re-registration under the supervision of the same research supervisor on the recommendation of RAC and DRC to be approved by the Vice Chancellor. When permitted, such candidate will have to pay the prescribed fee for re-registration and the fee for Part-Time mode stipulated by the University from time to time and all other rules would be applicable to him /her as applicable to Part-Time category. The candidate has to complete the minimum duration of 04 years as stipulated under clause 13.2 of this regulation including the previous 02 years of residency. After four years, the candidate if fulfills the requirements may be allowed adopting due procedure stipulated in this Regulation to submit his/her Ph.D. thesis for evaluation. The seat of the candidate under the supervisor shall be treated as filled till the submission of the thesis by the candidate/or cancellation of his/her registration. **The requirements for re-registration shall be as follows:** (i) The registration of the candidate as full-time research scholar is not discontinued. (ii) The candidate should have RAC & DRC approved satisfactory six monthly progress-reports till the date of re-registration. (iii) The re-registration fee stipulated by the University from time to time has to be paid by the candidate along with the prescribed fee for Part-Time mode.

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय
पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

C-94

	5. Clause 13.7 of the submitted Ph.D. Regulation shall be amended as follows: **"13.7**-The ratio of part-time seats may not be more than the 20% of the vacant seats subject to the maximum of 10% of sanctioned seats at any point of time for each Department." This shall not be applicable to the full-time mode candidate switching over to part-time mode. **<u>Decision-</u> Incorporating the suggestions given by the Academic Council, Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow: Doctor of Philosophy (Ph.D.) Regulation-2024 submitted by the committee was approved.** **<u>निर्णय</u> :– उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ के डॉ0 ऑफ फिलासफी (पीएच0डी0) रेगुलेशन–2024 [Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow : Doctor of Philosophy (Ph.D.) Regulation-2024] को मा0 विद्या–परिषद द्वारा दिये गए सुझावों (Suggestions) को समाहित करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।**
11/32 (ख)	**कार्यालय ज्ञाप सं0–243/फा0सं0–02/वि0शि0संकाय/डॉ.श.मि.रा.पु.वि.वि./2024–25 दिनांक–08 मई, 2024 के माध्यम से गठित समिति द्वारा प्रस्तुत पीएच0डी0 कार्यक्रम के फीस–संरचना (Fee-Structure) के अनुमोदन पर विचार।**
	उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत "Proposed Fee-Structure for Ph.D. programme" पर मा0 विद्या परिषद द्वारा यह सुझाव (Suggestion) प्रदान किया गया कि Full-Time Ph.D. programme के Non-Science & Non-Technology-Discipline तथा Science & Technology-Discipline के फीस में समानता एवं एकरूपता लानें के दृष्टिगत Non-Science & Non-Technology-Discipline की फीस को Science & Technology-Discipline के फीस के समान कर दिया जाये। **Decision- After due consideration, having incorporated, the suggestions given by Academic Council, the Fee- Structure of Ph.D. programme proposed by the Committee was approved.** **<u>निर्णय</u> :– सम्यक विचारोपरान्त मा0 विद्या–परिषद द्वारा प्रदत्त सुझावों को समाहित करते हुए पीएच0डी0 कार्यकम हेतु समिति द्वारा प्रस्तावित Fee-Structure पर अनुमोदन प्रदान किया जाये।**
11/32 (ग)	**कार्यालय ज्ञाप सं0–243/फा0सं0–02/वि0शि0संकाय/डॉ.श.मि.रा.पु.वि.वि./2024–25 दिनांक–08 मई, 2024 के माध्यम से गठित समिति द्वारा पीएच0डी0 कार्यकम हेतु प्रस्तुत List of Allied Subject/Discipline के अनुमोदन पर विचार।**
	उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत List of Allied Subject/Discipline पर मा0 विद्या–परिषद द्वारा सम्यक विचार किया गया। **<u>Decision-</u> After due deliberations, List of Allied Subject/Discipline was approved with instruction that if any Department wants to modify it then the concerned Head of Department shall send the modification in light of UGC guidelines having consulted with all the Faculty member of the Department to the Dean of Faculty with in 15 days and Dean of Faculty shall forward it to the Academic Council for its approval.** **<u>निर्णय</u> :– सम्यक विचारोपरान्त मा0 विद्या परिषद द्वारा List of Allied Subject/Discipline पर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा साथ ही यह निर्देश दिया गया कि यदि कोई विभाग इसमें संशोधन करना चाहता है तो 15 दिन के अन्दर विभागाध्यक्ष को अपने विभाग के सभी शिक्षको से विचार विमर्श करते हुए यू0जी0सी0 के दिशा निर्देशों के आलोक में सुझाव अधिष्ठाता को प्रेषित किया जाएगा एवं अधिष्ठाता इसे मा0 विद्या–परिषद के अनुमोदन हेतु अग्रसारित करेंगें।**

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय
पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

पूरक एजेण्डा बिन्दु संख्या—

1(S)/32 **विश्वविद्यालय के समाजकार्य विभाग द्वारा एम0एस0डब्लू0 पाठ्यक्रम एवं इतिहास विभाग द्वारा एम0ए0 इतिहास पाठ्यक्रम को अध्ययन मण्डल से प्राप्त संस्तुति के क्रम में मा0 विद्या परिषद से अनुमोदन प्रदान किये जाने पर विचार।**

मा0 विद्या परिषद की आहूत बैठक में डॉ0 संजीव गुप्ता, समन्वयक, एन0ई0पी0 द्वारा अवगत कराया गया है कि समाजकार्य विभाग द्वारा एम0एस0डब्लू0 पाठ्यक्रम, इतिहास विभाग द्वारा एम0ए0 इतिहास पाठ्यक्रम, राजनीति शास्त्र का स्नातक पाठ्यक्रम विशेष शिक्षा संकाय के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रम श्रवण बाधितार्थ एवं बौधिक अक्षमता को अध्ययन मंण्डल से प्राप्त संस्तुति का परीक्षण राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020 हेतु गठित समिति द्वारा कर लिया गया है जो पाठ्यक्रम निम्नवत् हैः—

क्र.सं.	संकाय / संस्थान	विभाग	संशोधित / नवीन पाठ्यक्रम
1.	कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय	इतिहास एवं पुरातत्व	पूर्व से संचालित परास्नातक पाठ्यक्रम में संशोधन।
		समाजकार्य	पूर्व से संचालित परास्नातक पाठ्यक्रम में संशोधन।
		राजनीतिशास्त्र	पूर्व से संचालित स्नातक पाठ्यक्रम में संशोधन।
2.	विशेष शिक्षा संकाय	बौद्धिक अक्षमता	पूर्व से संचालित स्नातक पाठ्यक्रम में संशोधन।
		श्रवण बाधितार्थ	पूर्व से संचालित स्नातक पाठ्यक्रम में संशोधन।
		दृष्टिबाधितार्थ	पूर्व से संचालित डिप्लोमा, स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों में संशोधन।

Decision- After due consideration the desired approval was accorded on the syllabus and course-structure recommended by the Board of Studies of the Department of Political Science, History, Social Work, Intellectual Disability, Hearing Impairment and Visual Impairment.

निर्णयः— मा0 विद्या परिषद की आहूत बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय के समाजकार्य विभाग द्वारा एम0एस0डब्लू0 पाठ्यक्रम एवं इतिहास विभाग द्वारा एम0ए0 इतिहास, राजनीति शास्त्र स्नातक पाठ्यक्रम एवं विशेष शिक्षा संकाय के अन्तर्गत श्रवण बाधितार्थ, बौद्धिक अक्षमता एवं दृष्टिबाधितार्थ विभागों के विभागीय अध्ययन मण्डल द्वारा की गई संस्तुतियों पर विचार करते हुए यथावांछित अनुमोदन प्रदान किया गया।

2(S)/32 **कुलानुशासक पत्रांक 469/डीएसएमएनआरयू/कुलानुशासक का0/2024—25 दिनांक 29 जुलाई, 2024 के माध्यम कुलानुशासक मण्डल द्वारा प्रस्तुत छात्र आचरण एवं अनुशासन नियमावली—2024 (Student Discipline and Conduct Regulation-2024) के अनुमोदन पर विचार।**

मा0 विद्या परिषद की आहूत बैठक में छात्र आचरण एवं अनुशासन नियमावली—2024 (Student Discipline and Conduct Regulation-2024) बनाये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत विचार—विमर्श किया गया। तत्क्रम में बैठक में उपस्थित मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय परिसर के अन्दर एवं बाहर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के तहत छात्रों एवं उनके बीच अनुशासन एवं आचरण के मानकों के पर्यवेक्षण, विनियमन एवं क्रियान्वयन हेतु छात्र आचरण एवं अनुशासन नियमावली— 2024 मा0 विद्या परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

Decision- After due consideration, Student Discipline and Conduct Regulation-2024 was approved with the condition that suggested minor modification, be incorporated by the committee and get it approved by the Vice-Chancellor.

निर्णयः— छात्र आचरण एवं अनुशासन नियमावली—2024 (Student Discipline and Conduct Regulation-2024) पर अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया गया कि प्रस्तुत नियमावली मे समिति द्वारा सुझावों को यदि दिया गया है, तो समाहित किया जाय एवं इस पर मा0 कुलपति महोदय का अनुमोदन प्राप्त जाय।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय ... लखनऊ।

3(S) / 32	**Standard Operating Procedure (SOP) & Rules and Regulation for Engagement of Guest Faculty in the University एवं Standard Operating Procedure (SOP) & Rules and Regulation for Engagement of Contractual Faculty in the University के सम्बन्ध में विचार।**
	विश्वविद्यालय द्वारा गठित सम्बन्धित समिति द्वारा प्रस्तुत Standard Operating Procedure (SOP) & Rules and Regulation for Engagment of Guest Faculty in the University एवं Standard Operating Procedure (SOP) & Rules and Regulation for Engagement of Contractual Faculty in the University पर मा0 विद्या परिषद द्वारा सम्यक विचार किया गया। **<u>Decision-</u> Standard Operating Procedure (SOP) & Rules and Regulation for Engagement of Guest Faculty in the University and Standard Operating Procedure (SOP) & Rules and Regulation for Engagement of Contractual Faculty in the University were referred back to the committee with the instruction to incorporate modifications` in view of the financial – viability, the rules pertaining to the leave and all others aspects and re-submit for further consideration.** **<u>निर्णयः–</u> मा0 विद्या परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा प्रस्तुत Standard Operating Procedure (SOP) & Rules and Regulation for Engagement of Guest Faculty in the University एवं Standard Operating Procedure (SOP) & Rules and Regulation for Engagement of Contractual Faculty in the University की वित्तीय–व्यवहार्यता (Financial Viability), अवकाश सम्बन्धी नियम एवं अन्य सभी पहलुओं पर व्यापक विचार–विमर्श करते हुये संशोधित कर पुर्नप्रस्तुत करने हेतु सम्बन्धित समिति को निर्देशित किया गया।**
4(S) / 32	**विश्वविद्यालय द्वारा उच्च शिक्षा संस्थान में रिसर्च एवं डेवलपमेन्ट सेल स्थापित किये जाने हेतु यूजीसी द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में विचार।**
	मा0 विद्या परिषद की आहूत बैठक में विश्वविद्यालय द्वारा उच्च शिक्षा संस्थान में रिसर्च एवं डेवलपमेन्ट सेल स्थापित किये जाने हेतु यूजीसी द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश दिनांक 04 मार्च, 2022 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत विचार–विमर्श करते हुए बैठक में उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 द्वारा शोध की गुणवत्ता का विस्तार, नवाचार को बढ़ावा देने, शैक्षणिक परिवेश में रिसर्च को बढ़ावा देने, तकनीकी विकास करने तथा शोध नवाचार एवं तकनीकी का एकीकरण करने की दृष्टि से उच्च शिक्षा संस्थान में रिसर्च एवं डेवलपमेन्ट सेल स्थापित किये जाने हेतु यूजीसी द्वारा निर्गत उक्त दिशा–निर्देश को अंगीकृत किया जाना है। **<u>Decision-</u> After detailed discussions, the desired approval for adopting the guidelines issued by UGC dated 4 March, 2022 pertaining to establish Research and Development Cell in Higher Educational Institution was accorded.** **<u>निर्णयः–</u> मा0 विद्या परिषद द्वारा विस्तृत विचार विमर्श करते हुए उच्च शिक्षा संस्थान में रिसर्च एवं डेवलपमेन्ट सेल स्थापित किये जाने हेतु यूजीसी द्वारा दिनांक 4 मार्च, 2022 को निर्गत दिशा–निर्देश को अंगीकृत किये जाने हेतु यथावांछित अनुमोदन प्रदान किया गया।**
5(S) / 32	**विश्वविद्यालय में आर.सी.आई. द्वारा मान्यता प्राप्त पूर्व से संचालित बी.ए.एस.एल.पी. सहित चार अन्य पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में विचार।**
	मा0 विद्या परिषद की आहूत बैठक में विश्वविद्यालय में आर.सी.आई. द्वारा मान्यता प्राप्त पूर्व से संचालित बी.ए.एस.एल.पी. सहित चार अन्य पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में विस्तृत विचार–विमर्श करते हुए मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि दिनांक 19 जुलाई, 2024 को आर.सी.आई. द्वारा शैक्षिक सत्र 2024–25 के लिए बी.ए.एस.एल.पी., पी.जी.डी.ए.वी.टी., डी.एच.ए.ई.एम.टी., डी.आई.एस.एल.आई. एवं डी.टी. आई.एस.एल. पाठ्यक्रमों की मान्यता प्रदान की गयी है। उक्त पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय में संचालित किए जाने से विश्वविद्यालय में शिक्षा को बढ़ावा दिए जाने के साथ ही विद्यार्थियों को व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करते हुए उनको जीवन की मुख्यधारा में लाया जा सकेगा।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय
पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

	<u>Decision-</u> With objective to provide Professional Education to the students, the Academic Council accorded its approval to conduct four (04) new courses namely PGDAVT, DHAEMT, DISLI and DTISL along with already running BASLP course recognized by RCI under the Faculty of Paramedical and Rehabilitation Sciences in the University. **<u>निर्णयः</u>– मा0 विद्या परिषद की आहूत बैठक में विद्यार्थियों को व्यवसायिक शिक्षा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय में आर.सी.आई. द्वारा मान्यता प्राप्त पूर्व से संचालित बी.ए.एस.एल.पी. सहित चार अन्य पाठ्यक्रमों पी.जी.डी.ए.वी.टी., डी.एच.ए.ई.एम.टी., डी.आई.एस.एल.आई. एवं डी.टी.आई.एस.एल. को विश्वविद्यालय में संचालित लिए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।**
6(S)/32	**भेषज विज्ञान संस्थान में बी0फार्म0 एवं डी0फार्म0 की सीटों पर दिव्यांगजनों को प्रदत्त आरक्षण एवं शुल्क पर छूट के सम्बन्ध में विचार।**
	मा0 विद्या परिषद की आहूत बैठक में भेषज विज्ञान संस्थान में बी0फार्म0 एवं डी0फार्म0 की सीटों पर दिव्यांगजनों को प्रदत्त आरक्षण एवं शुल्क पर छूट के सम्बन्ध में विस्तृत विचार–विमर्श करते हुए उपस्थित मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में Admission Rules & Standard Procedures, 2024 के बिन्दु–15d में वर्णित है "50% seats in all courses of study for degree/diploma shall be horizontally reserved for differently-abled candidates as provided by Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University Act, 2009, except the courses administered in self finance category. तत्क्रम में सामान्य परिषद की सप्तम बैठक के कार्यवृत्त पत्रांक 1093/फा0सं0–432(पंचम)/डॉ0श0मि0रा0पु0वि0/सामा0परिषद/2021–22, दिनांक 27 सितम्बर, 2021 के बिन्दु सं0–4/7 में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम में यथा–इंजीनियरिंग तथा बी0बी0ए0 के अन्तर्गत अध्ययनरत्, दिव्यांग विद्यार्थियों को निःशुल्क भोजन, छात्रावास एवं शिक्षा की सुविधा अनुमन्य कराये जाने की कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। अतः स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित उपरोक्त संस्थान में छात्रों को प्रवेशित करने हेतु आरक्षण व्यवस्था एवं भुगतान किये जाने वाले शुल्क के सम्बन्ध में मा0 विद्या–परिषद का निर्णय अपेक्षित है। **<u>Decision-</u> After proper deliberations, it was resolved that:** **1. Compliance of the reservation-rules prescribed in Dr. Shakuntala Misra Rehabilitation University Act – 2009 shall also be ensured in the self-financed courses.** **2. The action shall be taken in accordance with the aforesaid decision of the General Council passed at point no. 4/7 of the minutes of its 7th meeting issued vide letter no. 1093/फा0सं0–432(पंचम)/डॉ0श0मि0रा0पु0वि0/सामा0परिषद/2021–22, Dated 27 September, 2021.** **<u>निर्णयः</u>– सम्यक विचारोपरान्त मा0 विद्या परिषद द्वारा यह निर्णय पारित किया गया कि–** **1. डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय अधिनियम–2009 में वर्णित आरक्षण नियम (Reservation- rule) का स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों मे भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।** **2. उपरोक्त वर्णित सामान्य परिषद की सप्तम बैठक के कार्यवृत्त पत्रांक 1093/फा0सं0–432(पंचम)/डॉ0श0मि0रा0पु0वि0/सामा0परिषद/2021–22, दिनांक 27 सितम्बर, 2021 के बिन्दु सं0–4/7 पर पारित निर्णय के अनुसार कार्यवाही करने की सहमति प्रदान की गयी।**
12/32	**अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु।**
अन्य बिन्दु–1	**छात्रों के प्रवेश से सम्बन्धित सी0यू0ई0टी0 का परिणाम घोषित हो चुके हैं। तत्क्रम में छात्रों द्वारा पंजीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने के सम्बन्ध में विचार।**
	मा0 विद्या परिषद की आहूत बैठक में विश्वविद्यालय के प्रवेश निदेशक, द्वारा प्रस्तावित किया गया कि स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम में यदि सीटे खाली रह जाती है, तो ऐसी स्थिति में सी0यू0ई0टी0 का परिणाम घोषित हो चुका है जिसके माध्यम से अभ्यर्थी का पंजीकरण करते हुए प्रवेश लिया जाना उचित होगा। जिससे विश्वविद्यालय की आय अर्जन के साथ–साथ छात्र नामांकन मे भी वृद्धि होगी जिस पर मा0 विद्या–परिषद का निर्णय प्रार्थित है।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय
पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

	Decision- **After due deliberations on the aforesaid proposal to admit the candidates through CUET, the desired approval was accorded with condition that the prescribed provisions of the Academic Calendar of the University should not be violated.** **निर्णयः–** **मा0 विद्या परिषद की आहूत बैठक में सदस्यों द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचार–विमर्श करते हुए अभ्यर्थियों का प्रवेश सी0यू0ई0टी0 के माध्यम से किये जाने पर यथावांछित अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया गया कि विश्वविद्यालय के Academic Callender मे निर्धारित व्यवस्था का उल्लंघन न हो।**
अन्य बिन्दु–2	**शैक्षिक सत्र 2024–25 के लिए तैयार किये गये एकेडमिक कैलेण्डर में निर्धारित Exam Schedule में gap दिये जाने के निर्धारण के सम्बन्ध में।**
	मा0 विद्या परिषद की आहूत बैठक में मा0 समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया कि शैक्षिक सत्र 2024–25 के लिए तैयार किये गये एकेडमिक कैलेण्डर में निर्धारित Exam Schedule में gap नही है जिस पर परीक्षा नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया कि विद्यार्थियों द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में Exam Schedule पर आंशिक संशोधन किया गया है जिस पर मा0 विद्या परिषद का अनुमोदन अपेक्षित है। **Decision-** **After due consideration on the aforesaid proposal, the approval as desired, was granted.** **निर्णयः–** **मा0 विद्या परिषद की आहूत बैठक में सदस्यों द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचार–विमर्श करते हुए यंथावाछित अनुमोदन प्रदान किया गया।**
अन्य बिन्दु–3	**Alumni Association का गठन किये जाने के सम्बन्ध में विचार।**
	मा0 विद्या परिषद की आहूत बैठक में मा0 समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में Alumni Association के गठन के लिए आवश्यक रजिस्ट्रेशन किये जाने हेतु आवेदन किया जाना प्रस्तावित है जिस पर मा0 विद्या परिषद का अनुमोदन निवेदित है। **Decision-** **After proper deliberations, the desired approval was accorded for the formation of Alumni Association in the University.** **निर्णयः–** **मा0 विद्या परिषद की आहूत बैठक में मा0 समिति के सदस्यों द्वारा विचार–विमर्श करते हुए Alumni Association का गठन किये जाने हेतु यथावांछित अनुमोदन प्रदान किया गया।**
अन्य बिन्दु–4	**प्रबन्धशास्त्र विभाग के अन्तर्गत संचालित स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम बी0बी0ए0 में प्रवेश हेतु 60 सीटों में 25 प्रतिशत वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में विचार।**
	मा0 विद्या परिषद की आहूत बैठक में मा0 समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में प्रबन्धशास्त्र विभाग के अन्तर्गत संचालित स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम बी0बी0ए0 में प्रवेश हेतु 60 सीटें निर्धारित है एवं शैक्षिक सत्र 2024–25 में प्रवेश हेतु 146 अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया गया है। विगत् वर्षो में बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम में 60 सीटों पर प्रवेश होता रहा है जबकि आवेदन 146 होने के कारण अत्यधिक अभ्यर्थी प्रवेश से वंचित रह जायेगे। उक्त पाठ्यक्रम में 60 सीटों में 25 प्रतिशत अर्थात 15 सीटों की बढ़ोतरी हो जाने से विश्वविद्यालय के राजस्व में बढ़ोत्तरी भी होगी एवं इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि विभाग में उपलब्ध शिक्षकवृन्द द्वारा ही पठन–पाठन किया जायेगा तथा अन्य अतिथि व्याख्याता की मांग नहीं की जायेगी जिस पर मा0 विद्या परिषद का अनुमोदन निवेदित है। **Decision-** **After proper deliberation, the proposal to increase 25% seats of the total 60 seats i.e. increase of 15 seats of BBA self-financed course in the Department of Management was approved with the condition that teaching-learning shall be conducted by the available teachers in the department and extra Guest-Faculty shall not be demanded.**

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय
पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

	<u>निर्णयः</u>— मा0 विद्या परिषद की आहूत बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय के प्रबन्धशास्त्र विभाग के अन्तर्गत संचालित स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम बी0बी0ए0 में प्रवेश हेतु 60 सीटों के सम्बन्ध में विचार—विमर्श करते 25 प्रतिशत अर्थात् 15 सीटो की वृद्धि किये जाने पर यथावांछित अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया गया कि विभाग मे उपलब्ध शिक्षकवृन्द द्वारा ही पठन—पाठन किया जाएगा एवं अन्य अतिथि व्याख्याता की मांग नही की जाएगी।
अन्य बिन्दु—5	विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों मे शिक्षकों के प्रोन्नति **(promotion)** एवं नियुक्ति **(appointment)** हेतु गठित की जाने वाली चयन समिति **(Selection Committee)** में नामित किये जाने वाले वाह्य विषय—विशेषज्ञों **(External-Subject Experts)** के नाम का पैनल सम्बन्धित अधिष्ठाता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा सील बन्द लिफाफे में प्रषित करने पर निर्णय।
	This is to apprise to the Academic Council that the action regarding the promotion under the Career Advancement Scheme (CAS) in accordance with the relevant provisions of the University Grant Commission (Minimum Qualification for Appointment of Teachers and other Academic staff in the University and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Regulation, 2018 and its subsequent amendment (3rd Amendment) Regulation, 2023; of the teachers who are permanent faculty working in the various departments of this University and also the appointment against the vacant positions of the permanent teachers have to be initiated. For this purpose, the Selection Committee has to be constituted and three External-Subject Experts have to be nominated in the selection committee out of the panel of names approved by the relevant statutory body of the University. Hence, the matters pertaining to the composition of the Selection Committee and the panel of names of the External-Subject Expert are placed before the Academic Council for granting approval and passing appropriate resolution. **<u>Decision-</u> It was resolved that:** **(A) The Selection Committee for promotion under Career Advancement Scheme (CAS) and for the appointment of teachers shall be constituted as per section 25-2(a) of Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University Act-2009 and clause 5.0 of University Grant Commission (Minimum Qualification for Appointment of Teachers and other Academic staff in the University and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Regulation, 2018, wherever applicable.** **(B) The panel consisting of 15 names of External Subject – Experts not below the rank of Professor working/or superannuated in/or from the centrally funded Institutions like IITs, NITS, IISERs, Central Universities, other Institutions of National importance or reputed State Universities to be nominated in Selection Committee shall be submitted by concerned Head of Department through the concerned Dean of Faculty in the sealed envelope.** **The Vice-Chancellor is hereby authorized by the Academic Council to modify/to add the names in the panel as he may deem fit and to recommend accordingly.**
अन्य बिन्दु—6	कार्यालय ज्ञाप सं0—266 / पत्रा0 सं0—709 / विविध / शैक्षिक अनुभाग / 2024—25 दिनांक 10 मई, 2024 के माध्यम से 03 सदस्यीय गठित समिति द्वारा प्रस्तुत **Faculty Board Regulation-2024** पर विचार।
	मा0 विद्या परिषद की आहूत बैठक में सदस्यों को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के पत्रांक 266 / पत्रा0सं0 709 / विविध / शैक्षिक अनुभाग 2024—25 दिनांक 10 मई, 2024 के शाखा बोर्ड समिति का गठन किया गया था। उक्त समिति द्वारा दिनांक 30.07.2024 को Faculty Board Regulation-2024 उपलब्ध कराया गया। जो मा0 विद्या—परिषद के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय
पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

<u>Decision-</u> After due consideration, Faculty Board Regulation-2024 was approved with the condition that minor modification, if required, can be done by the committee with the approval of the Vice-Chancellor.

<u>निर्णयः–</u> **Faculty Board Regulation-2024** पर अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया गया कि प्रस्तुत नियमावली मे समिति द्वारा आंशिक संशोधन **(Minor modfication)**, यदि आवश्यक होगा, तो मा0 कुलपति महोदय का अनुमोदन प्राप्त कर, किया जा सकता है।

अन्य बिन्दु–7 — **विश्वविद्यालय के आवासीय परिसर में कुलपति आवास के बगल में अवस्थित रिक्त नवीन भवन (प्रस्तावित कुलसचिव आवास) को विशिष्ट अतिथिगृह के रूप में प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में**

मा0 विद्या परिषद की आहूत बैठक में मा0 समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के आवासीय परिसर में कुलपति आवास के बगल में अवस्थित रिक्त नवीन भवन (प्रस्तावित कुलसचिव आवास) को विशिष्ट अतिथिगृह के रूप में प्रयोग किये जाने की आवश्यकता है क्योंकि चयन समिति एवं अन्य अकादमिक कार्यों हेतु, आगन्तुक विशिष्ट व्यक्तियों के सुविधा एवं गोपनीयता के दृष्टिगत उचित स्थान आवश्यक है जिसके सम्बन्ध में मा0 विद्या परषिद द्वारा अनुमोदन प्रार्थित है।

<u>Decision-</u> After due consideration, the Academic Council accorded its agreement on the proposal to use the vacant new building adjacent to the Vice Chancellor residence (proposed Registrar residence) located in residential campus of the University as VIP Guest-House.

<u>निर्णयः–</u> **सम्यक विचारोपरान्त मा0 विद्या परिषद की आहूत बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय के आवासीय परिसर में कुलपति आवास के बगल में अवस्थित रिक्त नवीन भवन (प्रस्तावित कुलसचिव आवास) को विशिष्ट अतिथिगृह के रूप में प्रयोग किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी।**

अन्य बिन्दु–8 — **कार्यालय–ज्ञाप सं0–323/पत्रा0सं0–1474/शोध प्रकोष्ठ/D.S.M.N.R.U./2024–25 दिनांक–18 मई, 2024 के माध्यम से गठित समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या पर विचार।**

विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्त वर्णित कार्यालय–ज्ञाप के माध्यम से निम्नवत् समिति का गठन किया गया थाः–

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
उत्तर प्रदेश सरकार

पत्रांक 323/पत्रा0सं0–1474/शोध प्रकोष्ठ/D.S.M.N.R.U./2024-25 दिनांक– 18 मई, 2024

कार्यालय–ज्ञाप

माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम मे विश्वविद्यालय मे सत्र 2014 से 2017 तक शोधरत ऐसे शोधार्थियो जिनके शोध कार्य की अवधि (सकलांग हेतु अधिकतम अवधि 06 वर्ष एवं दिव्यांग/महिला शोधार्थियो हेतु 08 वर्ष) पूर्ण हो चुकी है, के प्रकरण पर विचार हेतु निम्न समिति का गठन किया जाता है–

1	प्रो0 वी0के0 सिंह, अधिष्ठाता कला एवं संगीत संकाय, विश्वविद्यालय।	अध्यक्ष
2	प्रो0 सी0के0 दीक्षित, अधिष्ठाता विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संकाय, विश्वविद्यालय।	सदस्य
3	प्रो0 यशवन्त कुमार विरोदय विभागाध्यक्ष, हिन्दी एवं भारतीय भाषा विभाग, विश्वविद्यालय।	सदस्य
4	डॉ0 अशोक कुमार मिश्र, सहायक आचार्य भौतिक विज्ञान विभाग, विश्वविद्यालय।	सदस्य
5	डॉ0 दिनेश कुमार, सहायक आचार्य दृष्टिबाधितार्थ विभाग, विश्वविद्यालय।	सदस्य

अतः उपरोक्त समिति से अपेक्षित है कि वर्ष 2014 से 2017 तक शोधरत ऐसे शोधार्थियों जिनके शोध कार्य की अवधि (सकलांग हेतु अधिकतम अवधि 06 वर्ष एवं दिव्यांग/महिला शोधार्थियो हेतु 08 वर्ष) पूर्ण हो चुकी है, के प्रकरणों का नियमानुसार परीक्षण करते हुये अपनी आख्या/संस्तुति शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव

<u>प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:</u>
1. वैयक्तिक सहायक, कुलपति, मा0 कुलपति महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
2. सम्बन्धित समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यगण, विश्वविद्यालय।
3. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय।
4. समस्त अधिकारीगण, विश्वविद्यालय।
5. गार्ड फाइल।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय
पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

	उक्त समिति द्वारा विधिवत् कार्यवाही करते हुए निर्धारित प्रारूप पर विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों से कुल–44 प्रकरणों पर आख्या प्राप्त हुई। कुल 44 प्रकरणों पर केस टू केस नियमानुसार परीक्षण करते हुए समिति द्वारा अपनी आख्या प्रस्तुत की गई जिस पर मा0 विद्या–परिषद द्वारा सम्यक विचार किया गया। समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या पर सम्यक् विचारोपरान्त इसे स्वीकार करते हुए छात्रहित में मा0 विद्या–परिषद द्वारा निम्नलिखित संकल्प/निर्णय पारित किया गया : **<u>Decision-</u> Such research scholars who were admitted in the Ph.D. programme on the basis of the merit of marks obtained in Entrance test and interview combined together/or those who were UGC and CSIR NET/JRF qualified at the time of their admission and those who had been submitting the prescribed fee session wise/or if due to any circumstances could not submit the fee of any session, had submitted the fee after taking permission/approval of the competent authority adopting due procedure and did not quit/discontinue the Ph.D. programme without getting NOC/permission from the competent authority of the University; they shall be provided an option/opportunity to switch over to Ph.D. in part-time mode through the process of re-registration with the same topic and supervisor allotted previously.** **In case of such research scholars, the past continuous duration elapsed by them with continued registration shall be counted in order to fulfill the minimum duration required in part-time Ph.D. and the one-time relaxation in the fee prescribed for part-time Ph.D. shall be provided and these candidates will have to pay the same fee as they have been paying since the time of their admission in view of the interest of the students.** **This decision shall be applicable for the concerned research scholars when Ph.D. regulation-2024 is duly notified by the University.** **This decision shall not be quoted as precedence .** <u>निर्णय :–</u> ऐसे शोधार्थी/शोधार्थिनी जिनका पीएच0डी0 कार्यक्रम में प्रवेश लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार दोनो को संयुक्त कर/जोड़कर प्राप्त अंको की मेरिट के आधार पर चयनित होने के बाद हुआ था अथवा जिन्होने अपने प्रवेश के समय **UGC** एवं **CSIR** द्वारा संचालित **NET/JRF** परीक्षा उत्तीर्ण किया था तथा जिन्होने अपने पंजीकरण की सतता **(Continuity)** बनाये रखते हुए पीएच0डी0 कार्यक्रम की निर्धारित फीस सत्रवार जमा करते रहे/अथवा किन्ही परिस्थितियों में किसी सत्र की फीस जमा नही कर पाने के कारण विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए सक्षम स्तर से अनुमति/अनुमोदन प्राप्त करते हुए फीस जमा की तथा विश्वविद्यालय की अनापत्ति/अनुमति प्राप्त किये बिना पीएच0डी0 कार्यक्रम को नही छोड़ा/असतत **(Discontinue)** नही किया उन्हे पीएच0डी0 पार्ट–टाइम मोड में पुर्नपंजीकरण **(Re-registration)** के माध्यम से अपने पूर्वत शोध–शीर्षक एवं शोध पर्यवेक्षक के साथ अपने शोध कार्य को पूर्ण करते हुए शोध–प्रबंध **(thesis)** जमा करने हेतु पीएच0डी0 पार्ट–टाइम मोड में स्विच करने का एक विकल्प/अवसर प्रदान किया जाएगा। इन शोधार्थियों के प्रकरण में न्यूनतम अवधि के पूर्ति हेतु छात्र हित के दृष्टिगत उनके पूर्व में व्यतीत किये गये सतत समयावधि (सतत पंजीकरण के साथ) को संगणित **(Count)** कर लिया जाएगा एवं पार्ट–टाइम पीएच0डी0 कार्यक्रम के लिए निर्धारित फीस में केवल एक बार के लिए छूट प्रदान करते हुए ऐसे शोधार्थियों को वही फीस जमा करना होगा, जो वो पहले से जमा करते आए है। यह निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा पीएच0डी0 रेगुलेशन–2024 विधिवत अधिसूचित होने के बाद सम्बन्धित शोधार्थियों के लिए लागू होगा। इस निर्णय को भविष्य में दृष्टान्त के रूप में उद्धृत नहीं किया जाएगा।
अन्य बिन्दु–9	मा0 सामान्य परिषद की सप्तम बैठक दिनांक 16 सितम्बर 2021 के निर्गत कार्यवृत्त पत्रांक–1093/फा0सं0–432(पंचम)/डॉ.श.मि.रा.पु.वि./सामा0परिषद/2021–22 दिनांक–27 सितम्बर, 2021 के बिन्दु सं0–4/7 पर लिये गये निर्णय के आलोक में विश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित संस्थान/अध्ययन केन्द्र/अध्ययनशाला को वित्तीय रूप से आत्म–निर्भर **(Self-Reliant)** एवं आत्मस्थायी **(Self-Sustainable)** बनाने पर विचार।

(... सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय
पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

	विश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत वर्तमान में दो संस्थान भेषज विज्ञान संस्थान (Institute of Pharmacy) तथा इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (Institute of Engineering & Technology) संचालित है एवं साथ ही प्रबन्ध शास्त्र विभाग में BBA Course भी स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित है। स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने वाले छात्रों (Abled & Disabled दोनों श्रेणियों में) को एक तरह का शुल्क भुगतान करने की संस्तुति वित्त समिति की 15वीं बैठक दिनांक–16.08.2016 के निर्गत कार्यवृत्त पत्रांक–695/पत्रा0सं0–57/बै0वि0समिति/2016–17 लखनऊ दिनांक–19 अगस्त 2016 के माध्यम से की गई थी जिस पर मा0 कार्य–परिषद की 16वीं बैठक दिनांक–20.08.2016 के निर्गत कार्यवृत्त पत्रांक–981/फा0सं0–36(चतुर्थ)/DSMNRU/कार्यपरिषद/2016–17 दिनांक–29 सितम्बर, 2016 के बिन्दु सं0–16.3 पर अनुमोदन प्रदान किया गया था। परन्तु यह प्रकाश में आया है कि मा0 सामान्य परिषद की षष्ठम बैठक दिनांक–20 अगस्त, 2019 के निर्गत कार्यवृत्त पत्रांक–1084/फ0सं0–432/सा0परि0/2019–20 दिनांक–28 अगस्त, 2019 के बिन्दु सं0–8/6 पर यह निर्णय उल्लिखित किया गया है, *"मा0 सामान्य परिषद द्वारा उ0प्र0 के बाहर के दिव्यांग विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा, छात्रावास एवं भोजन की सुविधा अनुमन्य कराये जाने पर विचार विमर्श करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया। इसी प्रकार स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम–इंजीनियरिंग तथा बी0बी0ए0 के अन्तर्गत अध्ययनरत् दिव्यांग विद्यार्थियों को निःशुल्क भोजन, छात्रावास एवं शिक्षा की सुविधा अनुमन्य कराये जाने हेतु निर्णय प्रदान किया गया।"* मा0 सामान्य परिषद के उक्त निर्णय के आलोक में वित्त समिति की 21वीं बैठक दिनांक–02 जून, 2020 के निर्गत कार्यवृत्त पत्रांक–2486/पत्रा0सं0–57/बै0वि0समिति/2020–21 लखनऊ दिनांक–12 जून, 2020 के बिन्दु सं0 31/21 पर पाँच सदस्यीय समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया। वित्त समिति के इस निर्णय पर मा0 कार्य परिषद के 29वीं बैठक दिनांक–25 जून, 2020 के कार्यवृत्त पत्रांक–443/फ0सं0–36(षष्ठम)/कार्य परि0/2020–21 दिनांक–09 जुलाई, 2020 के बिन्दु सं0–10/29 पर अनुमोदन प्रदान किया गया। तत्क्रम में मा0 सामान्य परिषद की सप्तम बैठक दिनांक–16 सितम्बर, 2021 के निर्गत कार्यवृत्त पत्रांक–1093/फा0सं0–432(पंचम)/डॉ.श.मि.रा.पु.वि./सामा0परिषद/2021–22 दिनांक–27 सितम्बर, 2021 के बिन्दु सं0–4/7 पर उल्लिखित, *"मा0 सामान्य परिषद को अवगत कराया गया कि सामान्य परिषद की षष्ठम बैठक दिनांक–20.08.2019 के बिन्दु सं0–8/6 में लिए गए निर्णयानुसार विश्वविद्यालय द्वारा उ0प्र0 के बाहर के दिव्यांग विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा, छात्रावास एवं भोजन की सुविधा अनुमन्य कराने तथा स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों यथा–इंजीनियरिंग तथा बी0बी0ए0 के अन्तर्गत अध्ययनरत् दिव्यांग विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा, छात्रावास एवं भोजन की सुविधा अनुमन्य कराए जाने की कार्यवाही की जा रही है। विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में निर्धारित शुल्क संरचना हेतु मा0 सामान्य परिषद द्वारा निम्नवत् निर्णय लिए गएः–(क) विश्वविद्यालय मे संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित शुल्क संरचना पर वित्त समिति मा0 विद्या परिषद एवं मा0 कार्य परिषद की संस्तुतियों से अवगत होते हुए सम्यक् विचारोपरान्त मा0 सामान्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।"* उल्लेखनीय है कि स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत वर्तमान में विश्वविद्यालय में दो संस्थान भेषज विज्ञान संस्थान (Institute of Pharmacy) तथा इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (Institute of Engineering & Technology) संचालित है एवं प्रबन्ध शास्त्र विभाग (Department of Management) के अन्तर्गत BBA Course संचालित है। इन संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों को संचालित करने का मूल उद्देश्य वित्तियरूप से आत्म–निर्भर (Self-Reliant) एवं आत्मस्थायी (Self-Sustainable) होना है जिसके आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित संस्थानों में दिव्यांग छात्रो को शिक्षा हेतु मूल भूत सुविधा यथा छात्रावास, भोजन की व्यवस्था एवं कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्माचारियों को वेतन इत्यादि का भुगतान छात्रों द्वारा भुगतान किये जाने वाले फीस की धनराशि से होता है जिसके दृष्टिगत इन संस्थानों को अनुदानित किया जाना समीचीन होगा जिस पर मा0 विद्या परिषद का निर्णय निवेदित है। **Decision- Considering the facts placed as above, it was resolved that the request/proposal shall be sent to the competent Authority for providing Grant in aid by U.P. Government to the courses being conducted under self finance scheme in the University and to create the**

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय
पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

	posts for teaching and non-teaching staffs as per rules. निर्णय :– सम्यक विचारोपरान्त मा0 विद्या–परिषद द्वारा यह संकल्प पारित किया गया कि स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों को उ0प्र0 शासन द्वारा अनुदानित **(Grant-in-aid)** करने हेतु एवं नियमानुसार शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का पद सृजित करने हेतु सक्षम स्तर को अनुरोध/प्रस्ताव प्रेषित किया जाएगा।
अन्य बिन्दु–10	विभागाध्यक्ष, संगीत विभाग द्वारा किये गये विश्वविद्यालय के पूर्व प्रचलित कुलगीत के संगीत (कम्पोजिशन) के परिवर्तन पर अनुमोदन हेतु विचार।
	विश्वविद्यालय में संगीत विभाग की स्थापना हो चुकी है एवं वर्तमान कुलगीत में भी भारतीय संगीत शास्त्रीयता के तत्वों को समाहित करते हुए कुलगीत के संगीत (कम्पोजिशन) में परिवर्तन करने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। **Decesion: After discussion, the Acadmic Council expressed its agreement that the Head, Department of Music be authorized for consulting the Technical – Experts of the Board of Studies for composing the Kulgeet into a better tune so that the existing tune is replaced by it in future. The new tune should be made available to the members for their consent in the forth coming meeting of the Academic Council.** निर्णय– मा0 विद्या–परिषद की आहूत बैठक में विमर्शोपरान्त यह सहमति बनी कि वर्तमान में प्रचलित कुलगीत के संगीत (कम्पोजिशन) में परिवर्तन हेतु संगीत विभाग के अध्यक्ष को अधिकृत किया जाये कि विभागीय अध्ययन मण्डल के तकनीकी विशेषज्ञ सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर एवं उनके सहयोग से उपरोक्तानुसार नये कम्पोजिशन की रचना प्रस्तुत करें एवं नई रचना के अनुरूप कुलगीत को प्रतिस्थापित करने हेतु मा0 विद्या–परिषद की आगामी बैठक में सदस्यों की सहमति हेतु उपलब्ध करायें।
अन्य बिन्दु–11	विभागाध्यक्ष, संगीत विभाग द्वारा विश्वविद्यालय के डाक्यूमेंट्री को वर्तमान संदर्भ में किए गए संशोधन पर अनुमोदन हेतु विचार।
	विश्वविद्यालय की डाक्यूमेंट्री का प्रदर्शन दीक्षांत समारोह के अवसर पर किये जाने परम्परा रही है जिसमें गत सत्रों में विश्वविद्यालय की नयी उपलब्धियों को समाहित किया जाता रहा है। पिछले सत्रों में भी दीक्षांत समारोह के पूर्व विश्वविद्यालय की डाक्यूमेंट्री में उपरोक्तानुसार संशोधन कर नये वृत्तचित्र का निर्माण होता रहा है। **Decision: After discussion, the Academic Council expressed its agreement that the previous documentary of the University be modified in the light of the present senario for which the concerned Committee was authorized to do the needful.** निर्णय– मा0 विद्या–परिषद की आहूत बैठक में विमर्शोपरान्त इस बात पर भी सहमति बनी कि पूर्व में फिल्मांकित विश्वविद्यालय की डाक्यूमेंट्री को भी वर्तमान संदर्भ में संशोधित किया जाये एवं इस हेतु सम्बन्धित समिति को कार्य सम्पादित करने हेतु अधिकृत किया गया।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय
पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।